



उत्तर प्रदेश शासन  
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2  
संख्या-839/2026/816/22-2-2026-17(177)/2020  
लखनऊ : दिनांक: 29 जून, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/ 1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-1 एवं 2(ड) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विश्व स्वास्थ्य दिवस (07 अप्रैल, 2026) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी कश्मीर सिंह (कैदी संख्या-27944) पुत्र श्री सोबरन सिंह, रठेरा, थाना-बरनाहल (वर्तमान-दन्नाहार), जनपद-मैनपुरी का निवासी, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-375/1981 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी के आदेश दिनांक 04.02.1983 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 06.01.2018 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है, बन्दी द्वारा दिनांक 07.04.2026 तक अपरिहार 10 वर्ष, 19 दिन एवं सपरिहार 12 वर्ष 01 माह की सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण संतोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रुपये 50000/- (रुपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र  
संयुक्त सचिव।

संख्या-839/2026/816(1)/22-2-2026 तद्विनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, 30प्र0, लखनऊ।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी।
- 3- पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी।
- 4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
- 5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, 30प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
कमलेश कुमार  
उप सचिव।